भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि,सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2730
15 दिसम्बर, 2015 को उत्तरार्थ

विषयः पॉली-हाउस

2730. श्रीमती मीनाक्षी लेखीः
श्रीमती पूनम महाजनः
श्री प्रेम दास राईः
श्री रवनीत सिंहः
श्री राम मोहन नायडू किंजरापुः
श्री दुष्यंत चैटालाः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

क्या कृषि और कृषक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार इस बात से अवगत है कि नियंत्रित पर्यावरण के अंतर्गत कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए पॉली-हाउस का इस्तेमाल फलों, सब्जियों, फूलों के उत्पादन में अधिक और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार में अत्यंत लाभदायक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए उनके बीच कृषि संबंधी गतिविधियों हेतु पॉली हाउस को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने छोटे किसानों को अपनी भूमि पर पॉली हाउस लगाने के लिए वित्तीय सहायता की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) क्या सरकार का पॉली हाउस का इस्तेमाल कर कृषि गतिविधियां शुरू करने के इच्छुक किसानों को तकनीकी कुशलता उपलब्ध कराने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कुंडारीया)

(क) से (ग) जी हां । समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) बारहवीं योजना के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है और ग्रीन हाउस संरचनाओं/पॉली हाउसों के माध्यम से संरक्षित कृषि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। फैन और पैड और प्राकृतिक बेंटीलेटेड प्रणाली ग्रीन हाउस के लिए (ट्यूबर निर्माण) 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी अधिकतम क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत की दर पर सहायता प्रदान की जाती है। लकड़ी और बांस से बनी हुई ग्रीन हाउस के लिए 20 यूनिट प्रति लाभार्थी की सीमित लागत का 50 प्रतिशत की दर पर सहायता प्रदान की जाती है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत संरक्षित कृषि के लिए प्रत्येक यूनिट जो 200 वर्ग मीटर से अधिक न हो, के लिए सहायता दी जाती है ।

(घ) एमआईडीएच के एमआरडी कार्यक्रमों के अंतर्गत् संरक्षित कृषि सहित किसानों, उद्यमियों, फील्ड स्तर कार्मिकों और अधिकारियों को प्रशिक्षण परिकल्पित है, इसके अलावा मानकीकृत प्रेसिन कृषि, विमित्र प्लास्टीकल्चर प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा ओर प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान बढ़ाने देने के लिए देश में 22 प्रेजिसन कृषि विकास केंद्र (पीकेडीसी) स्थापित की जाती है । स्कीम के अंतर्गत् वित्तीय सहायता के बारे में किसानों को स्थानीय भाषा में तकनीकी सहित और सूचना भी प्रदान की जाती हैं ।

(ड़) संरक्षित कृषि के लिए पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान एमआरडीएच के अंतर्गत प्रदान की गई राज्यवार सहायता दर्शाने वाले विवरण अनुबंध पर है।

लो.स.अता.प्र.सं. 2730

अनुबंध

एमआईडीएच के संरक्षित कृषि घटक के अंतर्गत ग्रीन हाउस के लिए प्रदान की गई राज्य वार और वर्ष वार सहायता दर्शाने वाला विवरण।

रू.लाख में

क्र.सं.	राज्य	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
		ग्रीन हाउस (फैन एवं पैड प्रणाली)	ग्रीन हाउस (प्राकृति वेंटीलेटेड प्रणाली)	ग्रीन हाउस (फैन एवं पैड प्रणाली)	ग्रीन हाउस (प्राकृति वेंटीलेटेड प्रणाली)	ग्रीन हाउस (फैन एवं पैड प्रणाली)	ग्रीन हाउस (प्राकृति वेंटीलेटेड प्रणाली)	ग्रीन हाउस (फैन एवं पैड प्रणाली)	ग्रीन हाउस (प्राकृति वेंटीलेटेड प्रणाली)
एनएचएम राज्य									
1	आंध्र प्रदेश	0.00	476.86	0.00	894.10	0.00	562.66	0.00	222.50
2	बिहार	0.00	317.91	0.00	337.77	0.00	158.95	0.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	124.53	198.79	186.79	178.82	28.05	225.25	0.00	39.75
4	गोवा	0.00	9.93	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00	46.75
5	गुजरात	0.00	4425.56	261.20	5035.93	19.47	1306.45	0.00	768.50
6	हरियाणा	0.00	4193.95	0.00	3288.70	0.00	2535.83	0.00	762.11
7	झारखंड	49.81	15.90	0.00	7.95	321.57	116.68	0.00	39.75
8	कर्नाटक	0.00	1134.55	31.13	1033.18	0.00	2181.47	0.00	949.50
9	केरल	993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1337.25	0.00	83.48
10	मध्य प्रदेश	68.49	516.59	0.00	1192.13	0.00	442.09	0.00	291.85
11	महाराष्ट्र	0.00	1492.14	0.00	1135.50	0.00	946.05	0.00	584.36
12	ओडिशा	0.00	308.64	24.90	397.38	0.00	177.61	0.00	208.95
13	पंजाब	211.68	223.72	217.92	516.59	302.80	766.38	0.00	880.13
14	राजस्थान	0.00	158.95	0.00	596.06	0.00	511.91	0.00	161.69
15	तमिलनाडु	0.00	953.06	0.00	1939.53	0.00	1898.35	0.00	1285.63
16	तेलंगाना	0.00		0.00	0.00	0.00	783.28	0.00	414.33
17	उत्तर प्रदेश	735.14	0.00	0.00	405.32	397.40	804.75	0.00	247.78
18	पश्चिम बंगाल	0.00	143.23	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	134.96
19	अंडमान एवं निकोबार	0.00	33.58	0.00	29.07	0.00	10.00	0.00	56.10
20	पुडुचेरी	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23.84	0.00	0.00
एचएमएनईएच राज्य									
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	193.46	0.00	136.27	0.00	197.34	0.00	0.00
2	असम	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	304.75	0.00	0.00
3	मणिपुर	0.00	233.75	0.00	848.25	0.00	630.70	0.00	344.65
4	मेघालय	0.00	420.92	73.25	473.13	0.00	254.17	0.00	0.00
5	मिजोरम	219.75	143.76	0.00	96.50	0.00	529.80	0.00	60.95
6	नगालैंड	0.00	186.80	0.00	93.40	0.00	356.56	0.00	249.90
7	सिक्किम	0.00	420.75	0.00	673.24	0.00	504.35	0.00	178.28
8	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20	0.00	62.28
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.70	0.00	108.70
10	हिमाचल प्रदेश	58.64	124.52	128.19	471.02	100.98	499.76	0.00	414.91
11	उत्तराखंड	0.00	0.00	21.98	486.20	14.20	492.28	0.00	247.50

******